रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11112026-277830
SG-DL-E-11112026-277830

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332] दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2026/कार्तिक 14, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 278
No. 332] DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2026/KARTIKA 14, 1948 [N. C. T. D. No. 278

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 नवम्बर, 2026

फा. सं. 01(179)/जीए/डीसी/मुख्या0/भर्ती नियमों का संशोधन/पटवारी/2022/1663.— दिल्ली भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 17.11.2014 की अधिसूचना फा0 सं0 7 (60)/जीए/स्था0/ डीसी/2014/7044 के द्वारा प्रकाशित पटवारी के पद से संबंधित भर्ती नियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पटवारी के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (क) इन नियमों को राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार **''पटवारी''** भर्ती नियमावली, 2026 कहा जाए।

(ख) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं इत्यादि** :– उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :–वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव**:– इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**पटवारी**
2.	**पदों की संख्या**	:	230* (2026) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–3 (21700–69100/–रुपये)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18–27 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) **टीप** :– आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताऍं**	:	**अनिवार्य**: क. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी अध्ययन विषय में स्नातक।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू**	:	लागू नहीं

	होगी।		
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	दो वर्ष **टीप :** विभाग द्वारा नए पदधारियों को कम्प्यूटर और सर्वेक्षण एवं मानचित्रण में 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा परिवीक्षा अवधि उपर्युक्त 3 माह के प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर ही पूर्ण मानी जाएगी।
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	100% सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है**	:	प्रतिनियुक्ति :– केन्द्र सरकार के अधिकारी (या केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश): क. (i) मूल संवर्ग या विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–2 में नियमित आधार पद पर नियुक्ति के उपरांत प्रदान की गई 03 वर्षों की सेवा सहित या समकक्ष; तथा (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी अध्ययन विषय में स्नातक की डिग्री हो। **टीप–1**: विभाग द्वारा नए पदधारियों को कम्प्यूटर और सर्वेक्षण एवं मानचित्रण में 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। **टीप–2**: प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	:	समूह ''ग'' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव/सचिव (श्रम), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार **– अध्यक्ष** 2. प्रधान सचिव/सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय

			राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – **सदस्य** 3. उप–सचिव (सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – **सदस्य** **टीप** :– यदि विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष, विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राकेश कुमार, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व, मुख्यालय)

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 4th November, 2026

F. No. 1(179)/GA/DC/HQ/Amendment of RRs/Patwari/2022/1663.—In exercise of the powers conferred by Section 84 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 and in supersession of the Department of Revenue, Government of National Capital Territory of Delhi, Recruitment Rules relating to the post of Patwari published vide Notification No.**F.7(60)/GA/Estt/DC/2014/7044, dt: 17.11.2014**, except respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of **"Patwari"** in Revenue Department, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:-

1. **Short title and commencement.-**(i) These rules may be called the Revenue Department, Government of National Capital Territory of Delhi "**Patwari**", Recruitment Rules, 2026.

 (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Posts, its classification and Level in the Pay Matrix.-** The number of post, its classification and Level in the Pay Matrix shall be specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be specified in the columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications.-** No person, –

 (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

 Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.-**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of posts	Classification
(1)	**(2)**	**(3)**
Patwari	230* (2026) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Non Ministerial.

Pay Matrix	Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(4)	**(5)**	**(6)**
Level-3 (Rs.21700-69100) in the Pay Matrix.	Not applicable.	Between 18-27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.
(7)	(8)
Essential: Graduation from a recognized university in any discipline.	Not Applicable.

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.
(9)	**(10)**	**(11)**
Two Years **Note:** 03 months training in Computer and Surveying & Mapping shall be imparted to the new incumbents by the department and the probation period shall stand completed only upon successful completion of the aforementioned three-month	100% by direct recruitment failing which by deputation.	**Deputation:-** Officers of Central Government (or the Central Government/State Government or Union territories): a. (i) Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department:

training.		Or (ii) With 03 years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Pay Level-2 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department: and b. Possessing Bachelor's degree in any discipline from a recognised university. **Note-1:** 03 months training of Computer and Surveying & mapping shall be imparted to these incumbents by the department. **Note 2**: Period of Deputation in another Ex-cadre Post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government/State Government or Union Territory shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by Deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) : 1. Pr. Secretary/Secretary (Labour), GNCTD -**Chairperson.** 2. Pr. Secretary/Secretary (Revenue)-cum-Divisional Commissioner, GNCTD -**Member** 3. Dy. Secretary (Services), GNCTD -**Member** **Note: Senior most member of the Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.**	Consultation with UPSC is not necessary.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAKESH KUMAR, ADM (Revenue, HQ)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.11.11 16:25:41 +05'30'